

ब्रिटिश कानून (भारत को लागू होना) निरसन अधिनियम, 1960

(1960 का अधिनियम संख्यांक 57)

[26 दिसम्बर, 1960]

कतिपय ब्रिटिश कानूनों का, जहां तक वे
भारत को लागू हो, निरसन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ब्रिटिश कानून (भारत को लागू होना) निरसन अधिनियम, 1960 है।
- कतिपय ब्रिटिश कानूनों का, जहां तक वे भारत को लागू हों, निरसन**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट ब्रिटिश कानून, जहां तक वे भारत या उसके किसी भाग पर विस्तारित हैं और भारत की या उसके किसी भाग की विधि के भाग के रूप में प्रवृत्त हैं, वहां तक, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।
- व्यावृत्ति**—शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम द्वारा किसी ब्रिटिश कानून का निरसन, किसी ऐसे देश में, जिस पर इंडिया (कान्सिक्वेन्थल प्रोविजन) ऐक्ट, 1949 (12, 13 तथा 14 जा० 6, अ० 92) का विस्तार है, भारत के संबंध में और किसी भी प्रकार से भारत के या उससे संबंधित व्यक्तियों और वस्तुओं के संबंध में किसी ऐसे कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

जहां तक वे भारत को लागू हों, वहां तक ब्रिटिश कानूनों का निरसन

क्रम सं०	वर्ष	संक्षिप्त नाम या विषय
1	1297	मेगना कार्ता (25 एड०-1, अ० 1 और 29)।
2	1331	अनलाफुल एटेचमेंट (5 एड०-3, अ० 9)।
3	1354	नॉन-कंडेमनेशन विदाउट ड्यू प्रोसेस (28 एड०-3, अ० 3)।
4	1540	दि मैरिज ऐक्ट, 1540 (32 हे०-8, अ० 38)।
5	1551-2	दि सेल ऑफ ऑफिसेस ऐक्ट, 1551 (5 और 6 एड०-6, अ० 16)।
6	1677	दि स्टेट्यूट आफ फ्राइस (29 चा०-2, अ० 3)।
7	1679	दि हेबिअस कोर्पस ऐक्ट, 1679 (31 चा०-2, अ० 2)।
8	1688	कोरोनेशन ओथ (1 विल० और मार०, अ० 6)।
9	1698	गवर्नर्स ऑफ प्लान्टेन्स (11 विल०-3, अ० 12)।
10	1700	दि आफ सेटलमेंट (12 और 13 विल-3, अ० 2)।
11	1702	डिमाइज आफ दि क्राउन, 1702 (1 ऐन, अ० 2)।
12	1707	दि सक्सेशन टू दि क्राउन ऐक्ट, 1707 (6 ऐन, अ० 41)।
13	1782	दि हाउस आफ कामन्स (डिसक्वालिफिकेशन) ऐक्ट, 1782 (22 जा०-3, अ० 45)।
14	1802	दि क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ऐक्ट, 1802 (42 जा० 3, अ० 85)।
15	1809	दि सेल आफ ऑफिसेस ऐक्ट, 1809 (49 जा० 3, अ० 126)।
16	1812	दि प्रिजनर्स आफ वार (एसकेप) ऐक्ट, 1812 (52 जा० 3, अ० 156)।

क्रम सं०	वर्ष	संक्षिप्त नाम या विषय
17	1820	दि डाइवोर्स बिल्स एवीडेंस ऐक्ट, 1820 (1 जा० 4, अ० 101)।
18	1824	दि स्लेव ट्रेड ऐक्ट, 1824 (5 जा० 4, अ० 113)।
19	1830	दि इल्यजरी अपाइन्टमेंट्स ऐक्ट, 1830 (11 जा० 4 और 1 विल० 4, अ० 46)।
20	1830	दि डैट्स रिकवरी ऐक्ट, 1830 (11 जा० 4 और 1 विल 4, अ० 47)।
21	1830	दि इफैंट्स प्रोपर्टी ऐक्ट, 1830 (11 जा० 4 और 1 विल 4, अ० 65)।
22	1830	दि क्लोनियल ऑफिसेस ऐक्ट, 1830 (1 विल-4, अ० 4)।
23	1831	दि एवीडेंस आन कमीशन ऐक्ट, 1831 (1 विल-4, अ० 22)।
24	1833	दि जुडिशियल कमेटी ऐक्ट, 1833 (3 और 4 विल०-4, अ० 41)।
25	1833	दि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1833 (3 और 4 विल०-4, अ० 85)।
26	1834	दि सुपरएन्यूशन ऐक्ट, 1834 (4 और 3 विल०-4, अ० 24)।
27	1840	दि डेटर्स (आयरलैण्ड) ऐक्ट, 1840 (3 और 4 विक्टो०, अ० 105)।
28	1843	दि (कालोनीज) एवीडेंस ऐक्ट, 1843 (6 और 7 विक्टो०, अ० 22)।
29	1843	दि जुडिशियल कमेटी ऐक्ट, 1843 (6 और 7 विक्टो०, अ० 38)।
30	1843	दि स्लेव ट्रेड ऐक्ट, 1843 (6 और 7 विक्टो०, अ० 98)।
31	1844	दि जुडिशियल कमेटी ऐक्ट, 1844 (7 और 8 विक्टो०, अ० 69)।
32	1847	दि नेवल डैजर्टर्स ऐक्ट, 1847 (10 और 11 विक्टो०, अ० 62)।
33	1849	पोर्टुगिस डेजर्टर्स ऐक्ट, 1849 (12 और 13 विक्टो०, अ० 25)।
34	1851	दि लुनेटिक्स रिमूवल (इंडिया) ऐक्ट, 1851 (14 और 15 विक्टो०, अ० 81)।
35	1851	दि कोर्ट आफ चांसरी ऐक्ट, 1851 (14 और 15 विक्टो०, अ० 83)।
36	1853	दि कॉयनेज (कोलोनियल ऑफेंसेस) ऐक्ट, 1853 (16 और 17 विक्टो०, अ० 48)।
37	1854	दि रजिस्ट्रेशन आफ बर्थ्स, डेथ्स एण्ड मैरिजेस (स्काटलैंड) ऐक्ट, 1854 (17 और 18 विक्टो०, अ० 80)।
38	1856	दि फोरेन ट्रिबुनल्स एवीडेंस ऐक्ट, 1856 (19 और 20 विक्टो०, अ० 113)।
39	1858	दि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1858 (21 और 22 विक्टो०, 106)।
40	1859	दि एवीडेन्स बाई कमीशन ऐक्ट, 1859 (22 विक्टो०, अ० 20)।
41	1859	दि रॉयल नेवल रिजर्व (वालंटीयर) ऐक्ट, 1859 (22 और 23 विक्टो०, अ० 40)।
42	1860	दि इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, 1861 (23 और 24 विक्टो०, अ० 5)।
43	1861	दि मेलिसियस डेमेज ऐक्ट, 1861 (24 और 25 विक्टो०, अ० 97)।
44	1861	दि विल्स ऐक्ट, 1861 (24 और 25 विक्टो०, अ० 114)।
45	1861	दि डोमिसिल ऐक्ट, 1861 (24 और 25 विक्टो०, अ० 121)।
46	1862	दि इंडिया स्टाक ट्रांसफर ऐक्ट, 1862 (25 और 26 विक्टो०, अ० 7)।
47	1862	दि हेब्रियस कोर्पस ऐक्ट, 1862 (25 और 26 विक्टो०, अ० 20)।
48	1862	दि फाइन आर्ट्स कापीराइट ऐक्ट, 1862 (25 और 26 विक्टो०, अ० 68)।
49	1863	दि कोलोनियल लेटर्स पेटेंट ऐक्ट, 1863 (26 और 27 विक्टो०, अ० 76)।
50	1866	दि इंडियन मिलिट्री फंड्स ऐक्ट, 1866 (29 और 30 विक्टो०, अ० 18)।
51	1866	दि इंडियन प्राइज मनी ऐक्ट, 1866 (29 और 30 विक्टो०, अ० 47)।

क्रम सं०	वर्ष	संक्षिप्त नाम या विषय
52	1868	दि इंडियन रेलवे कम्पनीज ऐक्ट, 1868 (31 और 32 विक्टो०, अ० 26)।
53	1868	दि डाक्यूमेंट्री एवीडेंस ऐक्ट, 1868 (31 और 32 विक्टो०, अ० 37)।
54	1868	दि इंडियन प्राइज मनी ऐक्ट, 1868 (31 और 32 विक्टो०, अ० 38)।
55	1869	दि ईस्ट इंडिया इरिगेशन एण्ड केनाल ऐक्ट, 1869 (31 और 32 विक्टो०, अ० 7)।
56	1870	दि कॉयनेज ऐक्ट, 1870 (33 और 34 विक्टो०, अ० 10)।
57	1873	दि० ईस्ट इंडिया स्टोक डिबिडेंड रिडेम्पशन ऐक्ट, 1873 (36 और 37 विक्टो०, अ० 17)।
58	1873	दि इंडियन रेलवे कम्पनीज ऐक्ट, 1873 (36 और 37 विक्टो०, अ० 43)।
59	1873	दि स्लेव ट्रेड (ईस्ट अफ्रिकन कोर्ट्स) ऐक्ट, 1873 (36 और 37 विक्टो०, अ० 59)।
60	1873	दि स्लेव ट्रेड ऐक्ट, 1873 (36 और 37 विक्टो०, अ० 88)।
61	1874	दि ईस्ट इंडिया एनुइटी फंड्स ऐक्ट, 1874 (37 और 38 विक्टो०, अ० 12)।
62	1876	दि रॉयल टाइटल्स ऐक्ट, 1876 (39 और 40 विक्टो०, अ० 10)।
63	1876	दि स्टेच्यूट ला रिबीजन (सबस्टीच्यूटेड एनेक्टमेंट्स) ऐक्ट, 1876 (39 और 40 विक्टो०, अ० 20)।
64	1876	दि कस्टम्स कंसोलिडेशन ऐक्ट, 1876 (39 और 40 विक्टो०, अ० 36)।
65	1876	दि स्लेव ट्रेड ऐक्ट, 1876 (39 और 40 विक्टो, अ० 46)।
66	1878	दि डेंटिस्ट्स ऐक्ट, 1878 (41 और 42 विक्टो०, अ० 33)।
67	1878	दि एल्डर्स विडोज फंड (इंडिया) ऐक्ट, 1878 (41 और 42 विक्टो०, अ० 47)।
68	1879	दि रजिस्ट्रेशन आफ बर्थ्स, डेथ्स एण्ड मैरिजेस (आर्मी) ऐक्ट, 1879 (42 और 43 विक्टो०, अ० 8)।
69	1879	दि स्लेव ट्रेड (ईस्ट अफ्रिकन कोर्ट्स) ऐक्ट, 1879 (42 और 43 विक्टो०, अ० 38)।
70	1879	दि इंडियन गारंटीड रेलवेज ऐक्ट, 1879 (42 और 43 विक्टो०, अ० 41)।
71	1881	दि जुडिशियल कमेटी ऐक्ट, 1881 (44 और 45 विक्टो०, अ० 3)।
72	1881	दि इंडिया आफिस (सेल आफ सुपरफ्लुअस लैंड) ऐक्ट, 1881 (44 और 45 विक्टो०, अ० 7)।
73	1881	दि आर्मी ऐक्ट, 1881 (44 और 45 विक्टो०, अ० 58)।
74	1881	दि डाक्यूमेंट्री एवीडेंस ऐक्ट, 1882 (45 और 46 विक्टो०, अ० 9)।
75	1882	दि बाम्बे सिविल फंड ऐक्ट, 1882 (45 और 46 विक्टो०, अ० 45)।
76	1882	दि रिजर्व फोर्सेस ऐक्ट, 1882 (45 और 46 विक्टो०, अ० 48)।
77	1884	दि नेवल डिसीप्लिन ऐक्ट, 1884 (47 और 48 विक्टो०, अ० 39)।
78	1884	दि क्रिमिनल लुनेटिक्स ऐक्ट, 1884 (47 और 48 विक्टो०, अ० 64)।
79	1885	दि ईस्ट इंडिया अनक्लेम्ड स्टोक ऐक्ट, 1885 (48 और 49 विक्टो०, अ० 25)।
80	1885	दि इंडियन आर्मी पेंशन डेफिसिएन्सी ऐक्ट, 1885 (48 और 49 विक्टो०, अ० 67)।
81	1885	दि एवीडेंस बाई कमीशन ऐक्ट, 1885 (48 और 49 विक्टो०, अ० 74)।
82	1886	दि मेडिकल ऐक्ट, 1886 (49 और 50 विक्टो०, अ० 48)।
83	1887	दि कनवरजन आफ इंडिया स्टोक ऐक्ट, 1887 (50 और 51 विक्टो०, अ० 11)।
84	1887	दि ब्रिटिश सैटलमेंट्स ऐक्ट, 1887 (50 और 51 विक्टो०, अ० 54)।
85	1887	दि सुपरएनुएशन ऐक्ट, 1887 (50 और 51 विक्टो०, अ० 67)।
86	1887	दि अपीलेट ज्युरिसडिक्शन ऐक्ट, 1887 (50 और 51 विक्टो०, अ० 70)।

क्रम सं०	वर्ष	संक्षिप्त नाम या विषय
87	1889	दि कमिशनर्स फार ओथ्स ऐक्ट, 1889 (52 और 53 विक्टो०, अ० 10)।
88	1890	दि कमिशनर्स फार ओथ्स अमेंडमेंट ऐक्ट, 1890 (53 और 54 विक्टो०, अ० 7)।
89	1890	दि फोरेन ज्युरिसडिक्शन ऐक्ट, 1890 (53 और 54 विक्टो०, अ० 37)।
90	1891	दि कमिशनर्स फार ओथ्स ऐक्ट, 1891 (54 और 55 विक्टो०, अ० 50)।
91	1891	दि काँयनेज ऐक्ट, 1891 (54 और 55 विक्टो०, अ० 72)।
92	1892	दि फारेन मेरिज ऐक्ट, 1892 (52 और 56 विक्टो०, अ० 23)।
93	1892	दि सुपरएनुएशन ऐक्ट, 1892 (55 और 56 विक्टो०, अ० 40)।
94	1893	दि रेजिमेंटल डेट्स ऐक्ट, 1893 (56 और 57 विक्टो०, अ० 5)।
95	1893	दि ट्रस्टी ऐक्ट, 1893 (56 और 57 विक्टो०, अ० 53)।
96	1894	दि ट्रस्टी ऐक्ट, 1893, अमेंडमेंट ऐक्ट, 1894 (57 और 58 विक्टो०, अ० 10)।
97	1894	दि इंडियन रेलवेज ऐक्ट, 1894 (57 और 58 विक्टो०, अ० 12)।
98	1894	दि फाइनेन्स ऐक्ट, 1894 (57 और 58 विक्टो०, अ० 30)।
99	1894	दि यूनिफारम्स ऐक्ट, 1894 (57 और 58 विक्टो०, अ० 45)।
100	1895	दि डाक्यूमेंट्री एवीडेंस ऐक्ट, 1895 (58 और 59 विक्टो०, अ० 9)।
101	1895	दि जुडिशियल कमेटी अमेंडमेंट ऐक्ट, 1895 (58 और 59 विक्टो०, अ० 44)।
102	1896	दि शार्ट टाइटल्स ऐक्ट, 1896 (59 और 60 विक्टो०, अ० 14)।
103	1896	दि फाइनेंस ऐक्ट, 1896 (59 और 60 विक्टो०, अ० 28)।
104	1896	दि रॉयल नेवल रिजर्व वालंटियर ऐक्ट, 1896 (59 और 60 विक्टो०, अ० 33)।
105	1897	दि रेगुलर एण्ड एल्डर्स विडोज फंड्स ऐक्ट, 1897 (60 और 61 विक्टो०, अ० 11)।
106	1898	दि रिजर्व फोर्सेस एण्ड मिलिशिया ऐक्ट, 1898 (61 और 62 विक्टो०, अ० 9)।
107	1898	दि स्टेट्यूट ला रिवीजन ऐक्ट, 1898 (61 और 62 विक्टो०, अ० 22)।
108	1899	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1899 (62 और 63 विक्टो०, अ० 3)।
109	1899	दि रिजर्व फोर्सेस ऐक्ट, 1899 (62 और 63 विक्टो०, अ० 40)।
110	1900	दि कलोनियल सोलिसिटर्स ऐक्ट, 1900 (63 और 64 विक्टो०, अ० 14)।
111	1900	दि रिजर्व फोर्सेस ऐक्ट, 1900 (63 और 64 विक्टो०, अ० 42)।
112	1900	दि कलोनियल स्टाक ऐक्ट, 1900 (63 और 64 विक्टो०, अ० 62)।
113	1901	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1901 (1 एड०-7, अ० 2)।
114	1901	दि डिमाइस आफ दि क्राउन ऐक्ट, 1901 (1 एड०-7, अ० 5)।
115	1901	दि रॉयल टाइटल्स ऐक्ट, 1901 (1 एड०-7, अ० 15)।
116	1902	दि रॉयल नेवल रिजर्व ऐक्ट, 1902 (2 एड०-7, अ० 5)।
117	1905	दि मैडिकल ऐक्ट (1886) अमेंडमेंट ऐक्ट, 1905 (5 एड०-7, अ० 14)।
118	1906	दि सीमैन्स एण्ड सोलजर्स फाल्स केरेक्टर्स ऐक्ट, 1906 (6 एड०-7, अ० 5)।
119	1906	दि रिजर्व फोर्सेस ऐक्ट, 1906 (6 एड०-7, अ० 11)।
120	1907	दि टोरिटोरियल एण्ड रिजर्व फोर्सेस ऐक्ट, 1907 (7 एड०-7, अ० 9)।
121	1907	दि एवीडेंस (कोलोनियल स्टेट्यूट्स) ऐक्ट, 1907 (7 एड०-7, अ० 16)।

क्रम सं०	वर्ष	संक्षिप्त नाम या विषय
122	1907	दि डिजीजड वाइफस सिस्टर्स मेरिज ऐक्ट, 1907 (7 एड०-7, अ० 47)।
123	1908	दि स्टेच्यूट ला रिबीजन ऐक्ट, 1908 (8 एड०-7, अ० 49)।
124	1908	दि अपीलेट ज्युरिसडिक्शन ऐक्ट, 1908 (9 एड०-7, अ० 51)।
125	1909	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1909 (9 एड०-7, अ० 3)।
126	1909	दि नेवल एस्टेब्लिशमेंट्स इन ब्रिटिश पजेशन्स ऐक्ट, 1909 (9 एड०-7, अ० 18)।
127	1909	दि नेवल डिजीप्लिन ऐक्ट, 1909 (9 एड०-7, अ० 41)।
128	1910	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1910 (10 एड०-7, अ० 6)।
129	1910	दि एकसेशन डिक्लेरेशन ऐक्ट, 1910 (10 एड०-7 और 1 जा०-5, अ० 29)।
130	1910	दि रजिस्ट्रेशन आफ बर्थ्स, डेथ्स और मेरिजेस (स्काटलैण्ड) अमेंडमेंट ऐक्ट, 1910 (10 एड०-7 और 1 जा०-5, अ० 32)।
131	1911	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1911 (1 और 2 जा०-5, अ० 3)।
132	1911	दि पार्लियामेंट ऐक्ट, 1911 (1 और 2 जा०-5, अ० 13)।
133	1911	दि आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1911 (1 और 2 जा०-5, अ० 28)।
134	1912	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1912 (2 और 3 जा०-5, अ० 5)।
135	1912	दि मेरिजेस इन जापान (वैलिडिटी) ऐक्ट, 1912 (2 और 3 जा०-5, अ० 15)।
136	1913	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1913 (3 जा०-5, अ० 2)।
137	1913	दि फारेन ज्युरिसडिक्शन ऐक्ट, 1913 (3 और 4 जा०-5, अ० 16)।
138	1913	दि अपीलेट ज्युरिसडिक्शन ऐक्ट, 1913 (3 और 4 जा०-5, अ० 21)।
139	1914	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1914 (4 और 5 जा०-5, अ० 2)।
140	1914	दि एलीन्स रिस्ट्रीक्शन ऐक्ट, 1914 (4 और 5 जा०-5, अ० 12)।
141	1914	दि आर्मी (स्पलाई आफ फूड, फोरेज एण्ड स्टोर्स) ऐक्ट, 1914 (4 और 5 जा०-5, अ० 26)।
142	1914	दि सुपरएनुएशन ऐक्ट, 1914 (4 और 5 जा०-5, अ० 86)।
143	1914	दि नेवी (प्लेजिंग आफ सर्टीफिकेट्स, एटसेट्रा) ऐक्ट, 1914 (4 और 5 जा०-5, अ० 89)।
144	1915	दि आर्मी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1915 (5 और 6 जा०-5, अ० 26)।
145	1915	दि नेवल डिजीप्लिन ऐक्ट, 1915 (5 और 6 जा०-5, अ० 30)।
146	1915	दि मेरिज आफ ब्रिटिश सबजेक्ट्स (फेसिलिटीज) ऐक्ट, 1915 (5 और 6 जा०-5, अ० 40)।
147	1915	दि आर्मी (अमेंडमेंट) नं० 2 ऐक्ट, 1915 (5 और 6 जा०-5, अ० 58)।
148	1915	दि नेवल डिजीप्लिन (नं० 2) ऐक्ट, 1915 (5 और 6 जा०-5, अ० 73)।
149	1915	दि जुडीशियल कमेटी ऐक्ट, 1915 (5 और 6 जा०-5, अ० 92)।
150	1916	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1916 (6 और 7 जा०-5, अ० 5)।
151	1916	दि इम्पीरियल इंस्टीट्यूट (मैनेजमेंट) ऐक्ट, 1916 (6 और 7 जा०-5, अ० 8)।
152	1916	दि मेरिज आफ ब्रिटिश सबजेक्ट्स (फेसिलिटीज) अमेंडमेंट ऐक्ट, 1916 (6 और 7 जा०-5, अ० 21)।
153	1916	दि गवर्नमेंट आफ इंडिया (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1916 (6 और 7 जा०-5, अ० 37)।
154	1917	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1917 (7 और 8 जा०-5, अ० 9)।
155	1917	दि नेवल डिजीप्लिन ऐक्ट, 1917 (7 और 8 जा०-5, अ० 34)।
156	1917	दि एयर फोर्स (कान्स्टीट्यूशन) ऐक्ट, 1917 (7 और 8 जा०-5, अ० 51)।

क्रम सं०	वर्ष	संक्षिप्त नाम या विषय
157	1918	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1918 (8 और 9 जा०-5, अ० 6)।
158	1918	दि टरमीनेशन आफ दि प्रेजेंट वार (डेफिनेशन) ऐक्ट, 1918 (8 और 9 जा०-5, अ० 59)।
159	1919	दि आर्मी (एनुअल) ऐक्ट, 1919 (9 और 10 जा०-5, अ० 11)।
160	1919	दि ट्रीटी आफ पीस ऐक्ट, 1919 (9 और 10 जा०-5, अ० 33)।
161	1919	दि ब्रिटिश मरकनटाइल मेरीन यूनीफार्म ऐक्ट, 1919 (9 और 10 जा०-5, अ० 62)।
162	1919	दि एलीन्स रिसट्रिक्शन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1919 (9 और 10 जा०-5, अ० 92)।
163	1919	दि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1919 (9 और 10 जा०-5, अ० 101)।
164	1920	दि ट्रीटीज आफ पीस (आस्ट्रीया एण्ड बुलगारिया) ऐक्ट, 1920 (10 और 11 जा०-5, अ० 6)।
165	1920	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1920 (10 और 11 जा०-5, अ० 7)।
166	1920	दि मेनटेनेन्स आर्डर्स (फेसिलिटीज फार एनफोर्समेंट) ऐक्ट, 1920 (10 और 11 जा०-5, अ० 33)।
167	1920	दि इंडेमिनिटी ऐक्ट, 1920 (10 और 11 जा०-5, अ० 48)।
168	1921	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1921 (11 और 12 जा०-5, अ० 9)।
169	1921	दि ट्रीटी आफ पीस (हंगरी) ऐक्ट, 1921 (11 और 12 जा०-5, अ० 11)।
170	1921	दि इम्पोर्टेशन आफ प्लूमेज (प्रोहिबीशन) ऐक्ट, 1921 (11 और 12 जा०-5, अ० 16)।
171	1921	दि इंडियन डाइवोर्स (वेलिडिटी) ऐक्ट, 1921 (11 और 12 जा०-5, अ० 18)।
172	1921	दि डिप्लोमेटिक ब्रादर्स विडोज मेरिज ऐक्ट, 1921 (11 और 12 जा०-5, अ० 24)।
173	1921	दि टेरिटोरियल आर्मी एण्ड मिलिशिया ऐक्ट, 1921 (11 और 12 जा०-5, अ० 37)।
174	1921	दि ट्रेड फेसिलिटीज ऐक्ट, 1921 (11 और 12 जा०-5, अ० 65)।
175	1922	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1922 (12 और 13 जा०-5, अ० 6)।
176	1922	दि एम्पायर सैटलमेंट ऐक्ट, 1922 (12 और 13 जा०-5, अ० 13)।
177	1922	दि नेवल डिप्लोमेटिक ऐक्ट, 1922 (12 और 13 जा०-5, अ० 37)।
178	1922	दि ट्रेड फेसिलिटीज एण्ड लोन्स गारन्टी ऐक्ट, 1922 (13 जा०-5, अ० 4)।
179	1923	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1923 (13 और 14 जा०-5, अ० 3)।
180	1923	दि पीस (इंक्लीज) ऐक्ट, 1923 (13 और 14 जा०-5, अ० 4)।
181	1923	दि मैट्रीमोनियल काजेज ऐक्ट, 1923 (13 और 14 जा०-5, अ० 19)।
182	1924	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1924 (14 और 15 जा०-5, अ० 5)।
183	1924	दि ट्रीटी आफ पीस (टर्की) ऐक्ट, 1924 (14 और 15 जा०-5, अ० 7)।
184	1924	दि ट्रेड फेसिलिटीज ऐक्ट, 1924 (14 और 15 जा०-5, अ० 8)।
185	1924	दि एक्जीलरी एयर फोर्स एण्ड एयर फोर्स रिजर्व ऐक्ट, 1924 (14 और 15 जा०-5, अ० 15)।
186	1924	दि केरेज आफ गुड्स बाई सी ऐक्ट, 1924 (14 और 15 जा०-5, अ० 22)।
187	1924	दि एक्सपाइरिंग लाज कंटीन्युएन्स ऐक्ट, 1924 (15 जा०-5, अ० 1)।
188	1925	दि ट्रेड फेसिलिटीज ऐक्ट, 1925 (15 और 16 जा०-5, अ० 3)।
189	1925	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1925 (15 जा०-5, अ० 25)।
190	1925	दि एक्सपाइरिंग लाज ऐक्ट, 1925 (15 और 16 जा०-5, अ० 76)।
191	1926	दि ट्रेड फेसिलिटीज ऐक्ट, 1926 (16 और 17 जा०-5, अ० 3)।

क्रम सं०	वर्ष	संक्षिप्त नाम या विषय
192	1926	दि सक्नेट्रीज आफ स्टेट ऐक्ट, 1926 (16 और 17 जा०-5, अ० 18)।
193	1927	दि रॉयल एण्ड पार्लियामेंट्री टाइटल्स ऐक्ट, 1927 (17 और 18 जा०-5, अ० 4)।
194	1927	दि वर्कमैन्स कम्पेंसेशन (ट्रांसफर आफ फंड्स) ऐक्ट, 1927 (17 और 18 जा०-5, अ० 15)।
195	1927	दि रॉयल नेवल रिजर्व ऐक्ट, 1927 (17 और 18 जा०-5, अ० 18)।
196	1927	दि सिनेमेटोग्राफ फिल्मस ऐक्ट, 1927 (17 और 18 जा०-5, अ० 29)।
197	1927	दि इंडियन चर्च ऐक्ट, 1927 (17 और 18 जा०-5, अ० 40)।
198	1927	दि कोलोनियल प्रोबेट्स (प्रोटेक्टेड स्टेट्स एण्ड मेन्डेड टेरीटरीज) ऐक्ट, 1927 (17 और 18 जा०-5, अ० 43)।
199	1929	दि अपीलेट ज्युरिसडिक्शन ऐक्ट, 1929 (19 और 20 जा०-5, अ० 8)।
200	1929	दि कम्पनीज ऐक्ट, 1929 (19 और 20 जा०-5, अ० 23)।
201	1934	दि एयर फोर्स रिजर्व (पाइलट्स एण्ड ओबजरवर्स) ऐक्ट, 1934 (24 और 25 जा०-5, अ० 5)।
202	1935	दि सुपरएनुऐशन ऐक्ट, 1935 (25 और 26 जा०-5, अ० 23)।
203	1935	दि फाइनेंस ऐक्ट, 1935 (25 और 26 जा०-5, अ० 24)।
204	1935	दि गवर्नमेंट आफ बर्मा ऐक्ट, 1935 (26 जा०-5 और 1 एड० 8, अ० 3)।
205	1936	हिज मेजेस्टीज डिक्लेरेशन आफ एन्डीकेशन ऐक्ट, 1936 (1 एड०-8, और 1 जा०-6, अ० 3)।
206	1937	दि ईस्ट इंडिया लोन्स ऐक्ट, 1937 (1 एड०-8 और 1 जा०-6, अ० 14)।
207	1937	दि रिजेन्सी ऐक्ट, 1937 (1 एड०-8 और 1 जा०-6, अ० 16)।
208	1937	दि रिजर्व फोर्स ऐक्ट, 1937 (1 एड०-8 और 1 जा०-6, अ० 17)।
209	1937	दि एम्पायर सेटलमेंट ऐक्ट, 1937 (1 एड०-8 और 1 जा०-6, अ० 18)।
210	1938	दि सिनेमोटोग्राफ फिल्मस ऐक्ट, 1938 (1 और 2 जा०-6, अ० 17)।
211	1938	दि ट्रेड मार्क्स ऐक्ट, 1938 (1 और 2 जा०-6, अ० 22)।
212	1939	दि प्रिवेंशन आफ फ्राड (इन्वेस्टमेंट्स) ऐक्ट, 1939 (2 और 3 जा०-6, अ० 16)।
213	1939	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1939 (2 और 3 जा०-6, अ० 17)।
214	1939	दि रिजर्व एण्ड आकजीलरी फार्सेस ऐक्ट, 1939 (2 और 3 जा०-6, अ० 24)।
215	1939	दि मेरिज (स्काटलैंड) ऐक्ट, 1939 (2 और 3 जा०-6, अ० 34)।
216	1939	दि इमरजेंसी पावर्स (डिफेंस) ऐक्ट, 1939 (2 और 3 जा०-6, अ० 62)।
217	1939	दि आर्ड (कंडीशन्स आफ सर्विस) ऐक्ट, 1939 (2 और 3 जा०-6, अ० 68)।
218	1939	दि शिप्स एण्ड एयरक्राफ्ट (ट्रांसफर रिस्ट्रीक्शन) ऐक्ट, 1939 (2 और 3 जा०-6, अ० 70)।
219	1939	दि ट्रेडिंग विद दि एनीमी ऐक्ट, 1939 (2 और 3 जा०-6, अ० 89)।
220	1939	दि एक्सपाइरिंग लाज कंटीन्यूएन्स ऐक्ट, 1939 (3 और 4 जा०-6, अ० 1)।
221	1940	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1940 (3 और 4 जा०-6, अ० 18)।
222	1940	दि इमरजेंसी पावर्स (डिफेंस) ऐक्ट, 1940 (3 और 4 जा०-6, अ० 20)।
223	1940	दि ट्रेचरी ऐक्ट, 1940 (3 और 4 जा०-6, अ० 21)।
224	1940	दि एवीडेंस एण्ड पावर्स आफ अटोर्नी ऐक्ट, 1940 (3 और 4 जा०-6, अ० 28)।
225	1940	दि इमरजेंसी पावर्स (डिफेंस) (नं० 2) ऐक्ट, 1940 (3 और 4 जा०-6, अ० 45)।

क्रम सं०	वर्ष	संक्षिप्त नाम या विषय
226	1940	दि प्रोलोंगेशन आफ पार्लियामेंट ऐक्ट, 1940 (3 और 4 जा०-6, अ० 53)।
227	1940	दि एक्सपाइरिंग लाज कन्टीन्यूएन्स ऐक्ट, 1940 (4 और 5 जा०-6, अ० 2)।
228	1940	दि नेवल एण्ड मेरीन फोर्सेस (टेम्परेरी रिलीज फ्राम सर्विस) ऐक्ट, 1940 (4 और 5 जा०-6, अ० 4)।
229	1941	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1941 (4 और 5 जा०-6, अ० 17)।
230	1941	दि नेवल डिस्प्लिन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1941 (4 और 5 जा०-6, अ० 29)।
231	1941	दि प्रोलोंगेशन आफ पार्लियामेंट ऐक्ट, 1941 (4 और 5 जा०-6, अ० 48)।
232	1941	दि एक्सपाइरिंग लाज कन्टीन्यूएन्स ऐक्ट, 1941 (5 और 6 जा०-6, अ० 3)।
233	1942	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1942 (5 और 6 जा०-6, अ० 15)।
234	1942	दि रॉयल नेवल वालंटियर रिजर्व ऐक्ट, 1942 (5 और 6 जा०-6, अ० 18)।
235	1942	दि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका (विजिटिंग फोर्स) ऐक्ट, 1942 (5 और 6 जा०-6, अ० 31)।
236	1942	दि प्रोलोंगेशन आफ पार्लियामेंट ऐक्ट, 1942 (5 और 6 जा०-6, अ० 37)।
237	1943	दि वर्कमैन्स कम्पैन्सेशन ऐक्ट, 1943 (6 और 7 जा०-6, अ० 6)।
238	1943	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1943 (6 और 7 जा०-6, अ० 15)।
239	1943	दि एवीडेंस एण्ड पावर्स आफ अटोर्नी ऐक्ट, 1943 (6 और 7 जा०-6, अ० 18)।
240	1943	दि फोरेन सर्विस ऐक्ट, 1943 (6 और 7 जा०-6, अ० 35)।
241	1943	दि रिजेन्सी ऐक्ट, 1943 (6 और 7 जा०-6, अ० 42)।
242	1943	दि प्रोलोंगेशन आफ पार्लियामेंट ऐक्ट, 1943 (6 और 7 जा०-6, अ० 46)।
243	1943	दि एक्सपाइरिंग लाज कन्टीन्यूएन्स ऐक्ट, 1943 (7 और 8 जा०-6, अ० 1)।
244	1944	दि नेवल फोर्सेस (एक्सटेंशन आफ सर्विस) ऐक्ट, 1944 (7 और 8 जा०-6, अ० 13)।
245	1944	दि इंडिया (अटेचमेंट आफ स्टेट्स) ऐक्ट, 1944 (7 और 8 जा०-6, अ० 14)।
246	1944	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1944 (7 और 8 जा०-6, अ० 18)।
247	1944	दि फाइनेन्स ऐक्ट, 1944 (7 और 8 जा०-6, अ० 23)।
248	1944	दि मैट्रीमोनियल काजेज (वार मेरिजिस) ऐक्ट, 1944 (7 और 8 जा०-6, अ० 43)।
249	1944	दि प्रोलोंगेशन आफ पार्लियामेंट ऐक्ट, 1944 (7 और 8 जा०-6, अ० 45)।
250	1944	दि एक्सपाइरिंग लाज कन्टीन्यूएन्स ऐक्ट, 1944 (8 और 9 जा०-6, अ० 2)।
251	1945	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1945 (8 और 9 जा०-6, अ० 22)।
252	1946	दि पेटेंट्स एण्ड डिजाइन्स ऐक्ट, 1946 (9 और 10 जा०-6, अ० 44)।
253	1946	दि यूनाइटेड नेशन्स ऐक्ट, 1946 (9 और 10 जा०-6, अ० 45)।
254	1946	दि आर्मी एण्ड एयर फोर्स (एनुअल) ऐक्ट, 1946 (9 और 10 जा०-6, अ० 47)।
255	1946	दि सुपरएनुएशन ऐक्ट, 1946 (9 और 10 जा०-6, अ० 60)।
256	1946	दि नेशनल इंशोरेंस (इंडस्ट्रीयल इंज्यूरिज) ऐक्ट, 1946 (9 और 10 जा०-6, अ० 62)।
257	1946	दि एक्सपाइरिंग लाज कन्टीन्यूएन्स ऐक्ट, 1946 (10 और 11 जा०-6, अ० 1)।
258	1947	दि फोरेन मेरिज ऐक्ट, 1947 (10 और 11 जा०-6, अ० 33)।